


नीतियों
का रवेल



DDA
घर
गिराना
बन्द करो



नीतियों का रवैल

2015

संपादन
दुनू राय

शोध रिपोर्ट
मो. उसामा, ब्रह्मा पान्डेय
शोध सहयोग
मो. रेहबर, मो. नईम

कवर पेज एवम् लेआउट
दिशा अरोड़ा, मीना भट्ट

मुद्रक
कनसेप्ट आर्ट

प्रकाशक


वित्तीय सहायक



परिचय

इस बात पर चर्चा होती रही है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों में अमीर वर्ग का फायदा ज्यादा होता है और गरीब हमेशा से ही नीतियों के फायदे से कोसों दूर रह जाते हैं। क्या यह सही है ? आम अनुभव है कि देश के आर्थिक ढांचे में गरीबों-मज़दूरों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है मगर जब वो गरीब मज़दूर शहर में अपने आवास के हक़ की बात करता है तो उसे हर मामले में अयोग्य ठहरा दिया जाता है। अपनी योग्यता स्पष्ट करने के लिये उसे ना जाने कितने सालों तक दफतरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और तब भी उसकी योग्यता मानी नहीं जाती। कई लोग तो आवास एवम् सुविधाओं के लिए संघर्ष करते—करते दुनिया से ही चले जाते हैं मगर उन्हें ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा मृत्यु के बाद ही नसीब होता है।

दिल्ली के मामले में आवास नीतियों का विश्लेषण करने पर दिखता है कि सरकार नीतियों को किस प्रकार समय के साथ-साथ बदलती रही है और बदलाव का कारण शायद सिर्फ गरीब मज़दूरों को उनके हक़ से वंचित करना है। क्या ऐसा कहना सही होगा ? इसको कैसे टटोला जाये ?

दिल्ली में सन् 1990 से पहले की आवास नीति से लेकर और अब 3 फरवरी 2010 तक की नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं, उस पर एक नज़र :

ਸਰ्वੰ ਸਮਬਨਧੀ

ਯੋਗਤਾ 1990 ਸੇ ਪਹਲੇ ਕੀ ਨੀਤਿ

1. ਪਹਲੇ ਸਰ्वੰ ਹੋਗਾ
2. ਸੂਚਨਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਪਰ ਦੀ ਜਾਧੇਗੀ
3. ਸਰ्वੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਕਰ ਹੋਗਾ
4. ਤੋਡ੍ਹਨੇ ਸੇ ਪਹਲੇ ਉਸਕੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਧੇਗੀ

MCD ਕੀ ਨੀਤਿ 1990 ਸੇ 2009 ਤਕ ਯੋਗਤਾ

1. ਪਹਲੇ ਸਰ्वੰ ਹੋਗਾ
2. ਸੂਚਨਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਪਰ ਦੀ ਜਾਧੇਗੀ
3. ਸਰ्वੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਕਰ ਹੋਗਾ।
4. ਤੋਡ੍ਹਨੇ ਸੇ ਪਹਲੇ ਉਸਕੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਏਗੀ।
5. ਤੀਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਝੁਗ਼ੀ ਬਨਦ ਰਹਨੇ ਪਰ ਨੋਟਿਸ
6. ਤੋਡ੍ਹਨੇ ਸੇ ਪਹਲੇ ਬਨਦ ਝੁਗਿਆਂ ਕਾ ਦੋਬਾਰਾ ਸਰਵੰ
7. 15 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸਰਵੰ ਕਿਯਾ ਜਾਏਗਾ

ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਕੀ ਨੀਤਿ 1990 ਸੇ 2009 ਤਕ

1. ਬਰਸੀ ਕਾ ਪਹਲੇ ਸਰਵੰ ਕਿਯਾ ਜਾਧੇਗਾ
2. ਸੂਚਨਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨ ਪਰ ਦੀ ਜਾਧੇਗੀ
3. ਸਰਵੰ ਘਰ-ਘਰ ਕਿਯਾ ਜਾਏਗਾ।
4. ਤੋਡ੍ਹਨੇ ਸੇ ਪਹਲੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਏਗੀ।
5. ਤੀਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਝੁਗ਼ੀ ਬਨਦ ਰਹਨੇ ਪਰ ਨੋਟਿਸ



सर्वे सम्बन्धी

डी.डी.ए. की नीति 1990 से 2009 तक

- 6. तोड़ने से पहले बन्द झुगियों का दोबारा सर्वे
- 7. 15 दिनों तक सर्वे किया जाएगा
- 8. सर्वे में घर की महिला प्रधान का नाम भी शामिल किया जाएगा

पूरी दिल्ली की दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB)
3 फरवारी 2010 की नीति

- 1. बस्ती का बायोमेट्रिक सर्वे किया जायेगा
- 2. कम से कम 4 हफ्ते पहले बस्ती में नोटिस लगाया जाएगा
- 3. लाउडस्पीकर के द्वारा भी सूचना दी जाएगी
- 4. ढोल बजाकर भी सूचित किया जाएगा
- 5. सूचना अवधि के चार हफ्ते बाद DUSIB द्वारा ज्वाइंट सर्वे किया जाएगा। सर्वे में ध्यान रखा जाएगा कोई व्यक्ति न छूटे, अगर कोई योग्य व्यक्ति रह भी जाता है तो सूचना अवधि को उसके लिए आसान किया जा सकता है
- 6. सर्वे टीम सर्वे के दौरान जानकारी हासिल करेगी कि व्यक्ति असल ही में झुगी में रह रहा है कि नहीं, अगर झुगी सर्वे के दौरान इन हालातों में पाई गई जिसमें :
 - क) झुगी किराए पर
 - ख) व्यवसाय के लिए
 - ग) झुगी बेचने पर



सर्वे सम्बन्धी

पूरी दिल्ली की दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB)
3 फरवरी 2010 की नीति

- घ) दूसरे की झुग्गी पर कब्जा इत्यादि, तो इस चीज को सर्वे लिस्ट में शामिल किया जाएगा।
- ड.) सर्वे रिपोर्ट के बाद झुग्गी निवासी अपने को सिद्ध करने के लिए 21 दिनों के अन्दर समर्थन में दस्तावेज़ जमा कर सकता है।
- च) सर्वे प्रक्रिया में यदि कोई सही महिला या पुरुष छूट जाता है तो DUSIB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर विचार किया जा सकता है।

योग्यता उवम् दस्तावेज़

योग्यता 1990 से पहले की नीति

- 1. राशन कार्ड
- 2. चुनाव पहचान पत्र

योग्यता उम्मदरस्तावेज़

MCD की नीति 1990 से 2009 तक योग्यता

1. राशन कार्ड 1990
2. चुनाव पहचान पत्र 1990
3. वी.पी.सिंह टोकन / दिल्ली प्रशान्त कार्ड
4. 1990 से पहले का मतदाता प्रमाणपत्र (वोटर सर्टिफिकेट) मुख्य चुनाव अधिकारी (Chief Electoral Officer) द्वारा जारी किया हुआ
5. राशन कार्ड राशन दफ्तर से जारी किया हुआ 1990 के बाद से 1998 के बीच।
6. चुनाव पहचान पत्र मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया हुआ।
7. बच्चे के स्कूल का प्रमाण पत्र जो निवासी के बच्चे का प्रमाण देता हो।
8. परिवार के किसी भी सदस्य का मृत्यु / जन्म प्रमाण पत्र 1990 से 1998 के बीच।

डी.डी.ए. की नीति 1990 से 2009 तक

1. जे.जे.निवासी भारत का नागरिक होना ज़रूरी
2. डी.डी.ए. द्वारा सर्वे में जे.जे.निवासी का नाम होना ज़रूरी
3. अन्य सक्षम दस्तावेज़ (31 जनवरी 1990 या 1990 के बाद से 31 दिसम्बर 1998 से पहले तक) जो सक्षम अधिकारी को मान्य हो
4. राशन कार्ड 31 जनवरी 1990 से 1 दिसम्बर 1998 के बीच
5. चुनाव पहचान पत्र 31 जनवरी 1990 से 31 दिसम्बर 1998 के बीच

नीतियों
का व्यवेल

योग्यता एवम् दस्तावेज़

डी.डी.ए. की नीति 1990 से 2009 तक

6. वी.पी.सिंह टोकन / मेटेलिक टोकन (दिनांक 31 जनवरी 1990 से पहले) दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किया हुआ

पूरी दिल्ली की दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB)
3 फरवरी 2010 की नीति

1. राशन कार्ड
2. गोटर लिस्ट में नाम (31 मार्च 2002 से पहले एवम् 4 जून 2009) एवम् जिस साल सर्वे उस साल की निर्वाचन सूची में नाम

अन्य दस्तावेज़

इसके अलावा अन्य कोई एक दस्तावेज़ दिनांक 4 जून 2009 से पहले जो निवास की पुष्टि करता हो, जमा कर सकता है।

1. पासपोर्ट कॉपी
2. राशन कार्ड फोटो सहित
3. ड्राइविंग लाइसेन्स
4. पहचान पत्र/स्मार्टकार्ड फोटो सहित राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया हुआ
5. पासबुक फोटो सहित, बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी



योग्यता उवम् दरतावेज़

पूरी दिल्ली की दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB)

3 फरवरी 2010 की नीति

6. एससी.एसटी.ओ.बी.सी. प्रमाणपत्र फोटो सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ
7. पेंशन दस्तावेज़ फोटोसहित
8. विधवा प्रमाणपत्र
9. स्वतंत्रता पहचानपत्र फोटो सहित
10. विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
11. स्वास्थ्य बीमा योजना, स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित (श्रम मंत्रालय योजना द्वारा जारी)
12. पहचान पत्र (जे.जे.निवासी के बच्चे का) सरकारी स्कूल द्वारा जारी
13. निवासी अपने दस्तावेज़ की सत्यता के लिए शपथ पत्र भी लगा सकता है

प्लॉट सार्झज़ समय के साथ-साथ

योग्यता 1990 से पहले की नीति

1990 से पहले प्लॉट सार्झज़ (समय-समय पर) 70मी², 67मी², 36मी², 21मी²



प्लॉट सार्वजनिक समय के साथ-साथ

MCD की नीति 1990 से 2009 तक योग्यता

1990 से पहले वालों को 18मी² का प्लॉट और 1990 से 1998 के बीच 12.5मी² का प्लॉट

डी.डी.ए. की नीति 1990 से 2009 तक

1. प्लॉट सार्वजनिक 18मी² 31 जनवरी 1990 से पहले वालों के लिए
2. 12.5मी² का प्लॉट 31 जनवरी 1990 के बाद से, 31 दिसम्बर 1998 तक

पूरी दिल्ली की दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB)
3 फरवरी 2010 की नीति

25मी² का बहुमंजिली इमारत में फ्लैट, प्लॉट नहीं

लाइसेंस अवधि/पट्टा लीज़

योग्यता 1990 से पहले की नीति

99 वर्षों की लीज़ पर

लाइसेंस अवधि/पट्टा लीज़

MCD की नीति 1990 से 2009 तक योग्यता

लाइसेंस अवधि दस साल के लिए

डी.डी.ए. की नीति 1990 से 2009 तक

लाइसेंस अवधि 10 साल, 98 के बाद अवधि घटाकर 5 साल कर दी गई

पूरी दिल्ली की दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB)
3 फरवरी 2010 की नीति

लाइसेंस अवधि 15 साल, हर महीने किस्त का भुगतान, इसके बाद में
फ्री होल्ड

जमीन/प्लैट के लिए जमा धनराशि

योग्यता 1990 से पहले की नीति

8 रुपये प्रतिमाह

नीतियों
का रवेल

ज़मीन/फ्लैट के लिए जमा धनराशि

MCD की नीति 1990 से 2009 तक योग्यता

प्लॉट पाने के लिए 7,000 रुपये का भुगतान

डी.डी.ए. की नीति 1990 से 2009 तक

7,000 रुपये भुगतान दोनों तरह के प्लॉट साइज़ के लिए

पूरी दिल्ली की दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB)
3 फरवरी 2010 की नीति

2002 से पहले का प्रमाण देने पर 60,000 फीस, जो लोग 2002 से 2007
के बीच का प्रमाण देते हैं उन्हें 1,22,000 फीस, और अपनी ही जगह पर
फ्लैट पाने पर 1,53,000 फीस जमा करनी होगी। ये कीमत कभी भी
बढ़ाई जा सकती है

इस विश्लेषण से ज़ाहिर है कि दिल्ली की आवास नीतियों में समय-समय पर जो परिवर्तन
किए गए हैं उनमें शहरी गरीबों को उनकी जगह से बेदखल करने का काम ज्यादा हुआ है
और बसाने का काम कम हुआ है।

1990 से पहले ज़मीन के टुकड़े का आकार बड़ा था और फीस कम। 1990 के बाद ज़मीन के
टुकड़े का आकार छोटा हुआ और फीस ज्यादा और 2010 से फीस बढ़ी और ज़मीन की जगह
फ्लैट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा फ्लैट को लेने की योग्यताओं में से एक ये भी है कि
लाभार्थी की सालाना आय 1 लाख से ज्यादा न हो। जबकि फ्लैट की कीमत 1,22,000 और
1,53,000 है। अब आप खुद सोचिए कि ये नीतियां लोगों को बसाने की हैं या उजाड़ने की।

वार्तविक सच्चाई

अब ज़रा दिल्ली में मार्च 2010 में लागू की गयी नई आवास नीति की चर्चा की जाये इस नीति के अंतर्गत जो मानक तय किए गए हैं उसके तहत 32 वर्ग मी. और 25 वर्ग मी. के बहुमंजिली इमारतों में फ्लैट दिए जायेंगे। लेकिन फ्लैट क्यों? ज़मीन क्यों नहीं? तो सरकारी प्राधिकरणों का कहना है कि दिल्ली में ज़मीन की कमी है इसलिए फ्लैट ही लोगों को दिया जा सकता है।

आइए इन सरकारी विभागों के दावों की हकीकत पर एक नज़र डाली जाए। दिल्ली के लिए अब तक कुल 3 मास्टर प्लान बनाए गए हैं :—

1. पहले मास्टर प्लान के अन्तर्गत सरकार को घर बनाने थे। 7.4 लाख लेकिन बनाये कुल 5.43 लाख घर इस तरह 1.97 लाख घर कम बनाये।
2. दूसरे मास्टर प्लान के तहत सरकारी विभाग को घर बनाने थे 16.20 लाख लेकिन घर बनाये गए 5.56 लाख और इस तरह यहाँ भी 10.64 लाख घर कम बनाये गए। इस तरह सन् 1962 से लेकर 2001 तक सरकार को कुल 23.60 लाख घर बनाने थे लेकिन सरकार ने कुल 10.99 लाख घर ही बनाये। अब ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर 12.61 लाख घर कहाँ गए जो सकरार को इन 40 सालों में बनाने थे। दूसरा सवाल यह भी उठता है की जब मास्टर प्लान में घर बनाने की बात आई है तो फिर इन घरों को बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया होगा फिर जो घर नहीं बनाये गए हैं उन घरों की ज़मीन कहाँ गयी।
3. इसके बावजूद भी तीसरे मास्टर प्लान (2001–2021) में 24 लाख घर बनाने का दावा किया जा रहा है और इसी मास्टर प्लान में लोगों को प्लाट (ज़मीन) की जगह बहुमंजिली इमारतों में फ्लैट देने की बात कही गयी है। इसी के तहत 2010 में नई आवास नीति के तहत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) का गठन किया गया और तय किया गया की जो भी झुग्गी बस्ती तोड़ी जाएगी वहाँ के बेदखल लोगों को इसी नीति के तहत फ्लैट आवंटित किये जायेंगे।

वार्तविक सच्चाई

जैसा कि पिछले पृष्ठों में ये बताया गया था कि इन फ्लैटों को पाने वाले लाभार्थियों (बेनिफिशरी) को 60,000 रु. देने पड़ेंगे। एक फ्लैट की कीमत का आंकड़ा कुछ इस तरह से बैठता है –

भारत सरकार का योगदान	=	1,19,000 रु.
लाभार्थी का योगदान	=	60,000 रु.
ज़मीन के मालिकाना हक वाली एजेंसी का योगदान	=	93,000 रु.
दिल्ली सरकार का योगदान	=	62,000 रु.
इस तरह सभी का कुल योगदान	=	3,34,000 रु. बैठता है

फिर भी ये योगदान निश्चित नहीं हैं और ये कार्पेट ऐरिया, रु. की कीमत, स्थान और फ्लैट बनाने में आए खर्च के हिसाब से तय किया जायेगा। इसके अलावा अगर कोई भी लाभार्थी 60,000 रु. का योगदान देने में असमर्थ होगा तो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और कॉपेरेटिव बैंकों से लाभार्थियों को कर्ज़ दिलवाने की व्यवस्था करेगा। इस कर्ज़ को मासिक किस्त तय करके अदा किया सकेगा और किस्त न देने की स्थिति में लाभार्थी का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और फ्लैट किसी और अन्य योग्य लाभार्थी को दे दिया जायेगा।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.मॉडल)

अभी हाल ही में दिल्ली में विभिन्न सेवा / सुविधा क्षेत्रों में जिसके तहत पानी, आवास, शिक्षा, ठोस कचड़ा, और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र शामिल हैं उसमें पी.पी.पी मॉडल यानि सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी लागू कर दिया गया है। इसका वर्णन दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में स्पष्ट रूप से यह कहते हुए उल्लेख किया गया है कि “भूमि की सीमित उपलब्धता और आवासों की बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने करने के लिए भूखंडीय आवासीय विकास को हत्सोसहित किया जायेगा। (“जिसका सीधा मतलब है कि अब आवास की बढ़ी हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कम ज़मीन पर फ्लैट द्वारा ज्यादा घर बनाकर लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जायेगा”)। आवास व्यवस्था और सेवाकृत भूमि (मौलिक सुविधाओं या अन्य सुविधाओं के लिए ज़मीन) की व्यवस्था हेतु एक बहुआयामी आवास नीति अपनायी जाये जिसमें काफी सीमा तक प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक एजेंसियों और सहकारी समितियों को शामिल किया जायेगा।

इसका सीधा मतलब है कि प्राइवेट बिल्डर को सरकारी ज़मीन पर आवासीय परिसर और व्यवसायिक लाभ कमाने के लिए दिया जायेगा। इस योजना के तहत बहुमंजिली इमारतों में झुग्गी निवासियों को फ्लैट दिए जायेंगे। यानी वे अब शहर में रहने वाले गरीबों की बस्तियां तोड़कर पुनर्वास के नाम पर अब ज़मीन का टुकड़ा देने की बजाए छोटे-छोटे फ्लैट दिए जायेंगे। दिल्ली में इसके तहत तहखंड और शादीपुर (कठपुतली कालोनी) जैसे इलाकों में इस मॉडल को आजमाया जा रहा है। इस मॉडल के तहत जो भूमि निजी बिल्डर को दी जाएगी उसमें से 60% ज़मीन पर स्वरक्षण विकास (इन सिटू) नीति के अन्तर्गत बहुमंजिला इमारतों में 25 से 30 वर्ग मी. के फ्लैट झुग्गी निवासियों को दिए जायेंगे तथा बची हुई 40% ज़मीन में से निजी बिल्डर को 20% ज़मीन लाभदायक कार्यों के लिए (जिसे वो लाभ कमाने के लिए दूसरों को बेच सकें)। और बाकी बची 20% ज़मीन को लाभार्थियों के व्यवसायिक उद्देश्य के इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इस नए पीपीपी मॉडल के तहत भी कुछ सवाल उठते हैं।

1. झुग्गी वालों को कितना पैसा देना होगा ये स्पष्ट नहीं है
2. ये भी कि बहुमंजिली इमारतों में ऐसे व्यवसाय करने वाले लोग कैसे रह पायेंगे जिनके पास ठेला, रिक्षा, इत्यादि हैं
3. एक मामला कठपुतली कालोनी का भी है जहाँ जगह की नीलामी बिल्डर्स को करते समय उस स्थान के स्थानीय संगठनों और एन.जी.ओ. को शामिल नहीं किया गया।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी. मॉडल)

4. सुविधाएं कैसी और किस अनुपात में मिलेंगी और इनकी क्या कीमत वसूली जाएगी ये भी स्पष्ट नहीं है
5. शहर में मौजूद किसी भी ज़मीन की कीमत तय करने का पैमाना क्या है इसको लेकर क्या कोई ठोस नीति सरकार के पास है ?
6. लेकिन यहां ये भी शर्त है की पुनर्वास प्रक्रिया में संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की राय को भी शामिल किया जायेगा लेकिन इस मॉडल पर भी कुछ सवाल उठते हैं उदाहरण के तौर पर कठपुतली कालोनी में इस प्रक्रिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया ।

इन नए तरीकों से शहर के मेहनत कशों को उनकी ज़मीन से बेदखल कर प्राधिकरण किसके इशारों पर काम कर रहे हैं ? वे आर्थिक ताकतें कौन सी हैं जो शहर के मेहनतकशों को या तो शहर के बाहर खदेड़ने पर आमादा है या उनके लिए इस तरह से आवासों का प्रावधान किया जा रहा है जहां सुविधाओं और उनके रोज़गार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । ज़रूरत है कि अब केवल अपने-अपने स्तर पर आवास के मुद्दे पर न लड़कर इकट्ठा होकर लड़ा जाये । नीतियों, कानूनों और प्रक्रियाओं को समझने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाये और हमेशा वैकल्पिक नीतियों पर ज़ोर रहे । सड़क से संघर्ष और कागज की समझ, संविधान का ज्ञान और कानूनी लड़ाइयों से भी आवास के मुद्दे पर हम सभी को आगे बढ़ना होगा ।

नीतियों का रवेल




A Unit of Sanchal Foundation

92-एच, तीसरी मंज़िल, प्रताप मार्केट,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067

फोन नं ०११ २६७१४२४४, २६१८७८०६

ईमेल - hazardscentre@gmail.com

वेबसाईट - www.hazardscentre.com



2015